अंक 6 । अप्रैल-जून 2016

आईसीडब्ल्यूए सूचनापत्रक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद । सप्रू हाउस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली

"Maritime Affairs" विषय पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल के साथ परस्पर वार्ता

अध्यक्ष: पीयूष श्रीवास्तव, भारतीय विदेश सेवा, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए

26 मई 2016

इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 मई 2016 को आईसीडब्ल्यूए का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में विद्या पी. गुलटम, फ़ैज़ अहमद नुग्रोहो, एगनिस रोसारी देवी तथा अकबर नुग्राहा शामिल थे। आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पीयूष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव आईसीडब्ल्यूए कर रहे थे। आईसीडब्ल्यूए के प्रतिनिधिमंडल में डॉ. पंकज झा, डॉ. राहुल मिश्रा, डॉ. संजीव कुमार तथा डॉ. अविनाश गोडबोले शामिल थे।

श्री श्रीवास्तव ने आईसीडब्ल्यूए में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया तथा उन्हें क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराया। दक्षिण-पूर्वी एशियाई सुरक्षा व्यवस्था में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस क्षेत्र के समुद्री रास्ते से भारी संख्या में भारतीय तथा एशियाई व्यापारी गुजरते हैं। ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्त्वपूर्ण है। एशिया में तेल परिवहन की दो महत्त्वपूर्ण जांच चौकियां हैं, मलक्का जलडमरुमध्य तथा हरमज़ जलडमरुमध्य तथा इन जांच चौकियों में विघ्न दुनियाभर में आर्थिक संकट ला सकता है।

आईसीडब्ल्यूए हाइलाइट...

"The Al Qaida and the Daesh: The Present State of Play" विषय पर गोलमेज वार्ता

"A CHINA PRIMER: An Introduction to a Culture and a Neighbor" विषय पर राजदूत जी. एस. नायर लिखित एक आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन का विमोचन

विचार मंचों के प्रमुखों (एचओटीटी) के फोरम की बैठक

"Maritime Affairs" विषय पर इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल से परस्पर वार्ता

"Conflict Prevention – The Impact of Supernational EU Legal Institutions" विषय पर साइप्रस के उच्चायुक्त महामहिम श्री देमेत्रस थियोफाइलेक्तोउ का प्रस्तुतिकरण

श्री मोहन के. टिक्कू की पुस्तक "After the Fall: Sri Lanka in Victory and War" पर विचार-विमर्श

उन्होंने कहा कि सुरक्षित समुद्री आवागमन का वातावरण सुनिश्चित करना क्षेत्र में भारतीय हित में है तथा भारत की वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियां क्षेत्र में सहयोग के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने हाल में बंग्लादेश के साथ भारत का सीमा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से यूएनसीएलओएस के अन्तर्गत हल करने का जिक्र किया, जो आकलन के लिए बेहतरीन उदाहरण है।

श्री विद्या पी. गुलटम ने इंडोनेशियाई कूटनीति में समुद्री सुरक्षा तथा उसका प्रशासन सबसे महत्त्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जोको विडोडो सरकार इंडोनेशिया की विदेश नीति के रूप में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को विस्तृत करना आवश्यक समझती है। उस स्थिति में इंडोनेशिया, भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोगात्मक ढांचे में काफी महत्त्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि दौरे का दूसरा उद्देश्य इंडोनेशिया की प्रमुख कूटनीति का विस्तार करना तथा क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना है।

'The Al Qaeda and Daesh: The Present State of Play' विषय पर गोलमेज सम्मेलन

12 अप्रैल 2016

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने 12 अप्रैल 2016 को सप्रू हाउस में 'The Al Qaeda and Daesh: The Present State of Play' विषय पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में आईसीडब्ल्यूए के महाप्रबंधन राजदूत नलिन सूरी ने आईसीडब्ल्यूए के शोध अध्येताओं द्वारा इस विषय पर शोध कार्यों से अवगत कराया। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भाग लेनेवाले विशेषज्ञों द्वारा इन शोध कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करना था।

सम्मेलन के आरम्भ में शोध दल के चार सदस्यों ने अपने-अपने शोध प्रस्तुत किये। दल के संयोजक डॉ. ज़ाकिर हुसैन ने विषय का परिचय कराया। उन्होंने अल क़ायदा तथा दायेश संगठनों के उदय एवं विस्तार के घरेलू, क्षेत्रीय तथा वैश्विक कारणों एवं दोनों संगठनों में समानता तथा विभिन्नता के बारे में बताया।

अपने प्रस्तुतिकरण में डॉ. स्तुति बनर्जी ने अमेरिका तथा यूरोप में अल क़ायदा तथा दायेश के विषय में बताया। उन्होंने कि किस तरह ये संगठन और विशेषकर दायेश इन क्षेत्रों में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों (ग्रामीण/शहरी) की भर्तियां कर रहा है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका तथा यूरोप में लोगों/युवाओं को आकर्षित करने के लिए दायेश का महत्त्वपूर्ण हथकंडा जिहाद का प्रचार तथा सोशल मीडिया का प्रयोग है। उन्होंने इंगित किया कि दायेश के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद संगठन ने अपने सदस्यों को अपने घरों में रहने तथा वहीं से अमेरिका के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बताया कि सरकारों की प्रतिक्रिया दो स्तर पर रही है: सैनिक तथा असैनिक कार्रवाई, जिसमें आतंकवादियों के परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार उनके बारे में गोपनीय सूचनाएं प्रदान करते हैं।

डॉ. इन्द्राणी तालुकदार ने रूस, मध्य एशिया तथा तुर्की में अल क़ायदा तथा दायेश की उपस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूस की अफ़ग़ान नीति के कारण आतंकवाद का उदय हुआ है। डॉ. तालुकदार ने रूस में आतंकवाद तथा तालिबान विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। जहां तक तुर्की का सवाल है तो वो रूस से भिन्न, मिली-जुली नीति का पालन कर रहा है।

डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी ने दक्षिण एशिया, विशेषकर अफ़ग़ानिस्तान, बंग्लादेश, मालदीव तथा भारत में अल क़ायदा तथा दायेश की उपस्थिति के बारे में बताया। हालांकि अल क़ायदा तथा आईएस इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें मनोवांछित सफलता नहीं मिली है।

"A CHINA PRIMER: An Introduction to a Culture and a Neighbour" शीर्षक से राजदूत जी. एस. नायर. लिखित आईसीडब्ल्यूए प्रकाशन का विमोचन, जिसका विमोचन डॉ. शशि थरूर, सांसद, माननीय अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति तथा उपाध्यक्ष विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने किया।

आईसीडब्ल्यूए संकाय तथा सूडान के छात्रों के बीच परस्पर वार्ता

11 अप्रैल 2016

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने 11 अप्रैल 2016 को सप्रू हाउस में सूडान के छात्रों तथा बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में आईसीडब्ल्यूए के शोध अध्येताओं तथा सूडान के बुद्धिजीवियों एवं छात्रों के बीच वार्ता हुई। सूडान के प्रतिनिधिमंडल में सूडान में उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय के अन्तर्गत हायर एकैडमी फॉर सिक्यूरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (एचएएसएस) के 25 छात्र शामिल थे। बैठक का विषय भारत अफ्रीका सम्बंधों से लेकर क्षेत्रीय तथा वैश्विक राजनीति में सूडान की भूमिका, दक्षिण एशियाई देशों तथा अफ्रीका के समक्ष डर तथा चुनौतियां एवं ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं के विस्तार के उपायों पर चर्चा हुई।

"Conflict Prevention – The Impact of Supernational EU Legal Institutions" विषय पर साइप्रस के उच्चायुक्त महामहिम श्री देमेत्रस थियोफाइलेक्तोउ का प्रस्तुतिकरण
6 जून 2016

रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के उच्चायुक्त महामहिम श्री देमेत्रस ए थियोफाइलेक्तोउ ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), सप्रू हाउस, नई दिल्ली में 6 जून 2016 को "Conflict Prevention – The Impact of the EU Supranational EU Legal Institutions" विषय पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। भारत में यूरोपीय संघ (ईयू) के राजदूत महामहिम श्री टोमश कोज़लाओस्की ने स्वागत भाषण दिया। आयोजन की अध्यक्षता नलिन सूरी, महाप्रबंधक, आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली ने की।

अपने स्वागत भाषण में राजदूत टोमश कोज़लाओस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ नियमित तथा मूल रूप से एक अंतर-सरकारी संगठन नहीं है। उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण बात थी कि यूरोपीय संघ की उत्पत्ति वैधानिक संधियों से हुई है। इस क्रम में अन्तिम संधि लिस्बन संधि थी, जिसने यूरोपीय संघ के लिए वैधानिक स्तर सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अलावा यूरोपीय संघ ने यूरोपीय कानूनों का एक सेट तैयार किया है। यूरोपीय संघ के 'ऐक्की कम्मूनेटेर' में विधान, कानूनी धाराएं तथा अदालतों के फैसले शामिल हैं। राजदूत कोज़लाओस्की की तीसरी महत्त्वपूर्ण बात थी कि यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ देशों के वैध मतदाताओं द्वारा सीधे चुनी जाती है। संसद के पास वैधानिक ताकत है तथा वो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का जमावड़ा है। यूरोपीय संघ की ताकत सदस्य देशों द्वारा दी जाती है। सदस्य देश अपनी ताकत का कुछ हिस्सा यूरोपीय संघ को देते हैं। ये मान्यता है कि एक संगठन के रूप में यूरोपीय संघ कुछेक मामलों के निपटारे का बेहतर मंच है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे मौद्रिक संकट, शरणार्थी तथा प्रवासी संकट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इत्यादि। पहले वो इन संकटों का सामना करने को तैयार नहीं था। उसे इन चुनौतियों का प्रभावशाली तरीके से सामना करने के लिए तैयार होने में तीन-चार साल लगे। उन्होंने यूरोपीय संघ के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जताई और कहा कि वो संकट के हर दौर से उबर जाएगा।

श्री देमेत्रस ए थियोफाइलेक्तोउ ने संघर्ष रोकने तथा संघर्षों के समाधान की दिशा में यूरोपीय संघ की भूमिका की विस्तार से व्याख्या की। उनका प्रस्तुतिकरण यूरोपीय संघ की नम्र शक्ति, यूरोपीय संघ के स्तर पर कानून के नियम, संघर्षों के समाधान तथा रोकथाम का यूरोपीयकरण एवं यूरोपीय संघ का नम्र नागरिक अधिकार में विभक्त था। उन्होंने सुधारों तथा यूरोपीय संघ में नागरिकों का विश्वास कायम रहने पर ज़ोर दिया। उनका प्रस्तुतिकरण "Conflict Prevention - The Impact of Supranational EU Legal Institutions" शीर्षक से उनके शोध पत्र पर आधारित था, जो AALCO-Journal of International Law, Volume 4, Issue 1 (2015) में प्रकाशित हुआ है। उनका तर्क था कि यूरोप के एकीकरण का उद्देश्य न सिर्फ युद्ध समाप्त करना था, बल्कि यूरोप के देशों के बीच विस्तृत सहयोग स्थापित करना भी था। यूरोपीय संघ की संस्थाओं के उद्भव से यूरोप में शांति स्थापना की प्रक्रिया अधिक मजबूत हुई है। यूरोपीय संघ ने ईईसी, यूरोटॉम, कस्टम यूनियन, सामूहिक कृषि नीति इत्यादि का गठन किया है। हालांकि कुछ संकटों का सामना ज़रूर करना पड़ा, परन्तु कालान्तर में यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। नम्रता/मानकों के आधार पर यूरोपीय संघ ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान तथा संघर्षों के कारणों को दूर करने में सफलता पाई है।

श्री थियोफाइलेक्तोउ ने बताया कि यूरोपीय संघ के कानूनी पहलुओं की दीर्घकालीन प्रभाव है। संस्थागत क्षमताओं के रूप में विनम्र ताकत यूरोपीय संघ का महत्त्वपूर्ण पहलु है। उनकी दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा अन्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय खतरों से निपटने में यूरोपीय संघ की स्थिति किसी भी देश से बेहतर है। अंतर-राष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास देशों की तुलना में अधिक है।

यूरोपीय संघ में सुधार तथा यूरोपीय संघ के ताकतों के विस्तार विरोध में वृद्धि पर उनका दृष्टिकोण था कि यूरोपीय संघ लिस्बन संधि लागू करेगा। यूरोपीय राजनीति में लोकतंत्र का अभाव महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। राष्ट्रीय संसदों की भूमिका बढ़ाने की मांग है। यूरोपीय संघ के नियामक तथा कानूनी पहलु नागरिकों का ध्यान संघ से बाहर भटकाते हैं।

प्रस्तुतिकरण की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ अब भी अकेले देश की तुलना में अधिक प्रभावशाली संगठन के रूप में देखा जाता है। लोगों का यूरोपीय संघ की संस्थाओं में विश्वास है। यूरोपीय संघ के कानूनी ढांचे तथा आधारभूत नियमों से लोगों का उसके विनम्र ताकतों में अधिक विश्वास है।

प्रश्नोत्तर सत्र में दक्षिणपंथी दलों का उदय, मौद्रिक तथा आर्थिक चुनौतियां, ऊर्जा संघ, ब्रेक्सिट, समुद्री सुरक्षा तथा एशिया पैसिफिक में यूरोपीय संघ की भूमिका एवं लोकतंत्र के विषय में चर्चा हुई। यूरोपीय संघ महत्त्वपूर्ण नीतियों पर अपने सदस्य देशों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने में सफल रहा है। अपने समाप्ति भाषण में राजदूत टोमश ने कहा कि यूरोपीय संघ की निर्माण प्रक्रिया अब भी जारी है। लिहाजा कुछ मामलों में ये सफल रहा है, जबकि दूसरे मामलों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने, बिना बल प्रयोग के संघर्षों के रोकथाम तथा बलकान में यूरोपीय संघ की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने दावा किया कि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में यूरोपीय संघ सफल रहा है।

साइप्रस रिपब्लिक के उच्चायुक्त,
महामहिम श्री देमेत्रस ए थियोफाइलेक्तोउ

आईसीडब्ल्यूए के प्रबंध निकाय तथा शासन परिषद की 15वीं बैठक

28 जून 2016

"After the Fall: Sri Lanka in Victory and War"
शीर्षक से श्री मोहन के. टिक्कू लिखित पुस्तक पर विचार-विमर्श
30 जून 2016

विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने श्री मोहन के. टिक्कू की लिखी "After the Fall: Sri Lanka in Victory and War" शीर्षक पुस्तक पर 30 जून 2016 को आईसीडब्ल्यूए परिसर में विचार-विमर्श का आयोजन किया। आईसीडब्ल्यूए के महाप्रबंधक (डीजी) राजदूत नलिन सूरी ने विचार-विमर्श की शुरुआत की।

लेखक ने कहा कि श्रीलंकाई सरकार तथा एलटीटीई के बीच 2002 में युद्धविराम के बाद की स्थिति से पुस्तक आरम्भ होता है। किताब में 2005 में पूर्व राष्ट्रपति परसी महेन्द्र "महिंडा" राजपक्षे के शासनकाल में 'युद्ध' से 'शांति' के संक्रमण की गतिशीलता बताई गई है। लेखक ने सैनिक सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि, विदेशी मदद तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को श्रीलंकाई सरकार की जीत से जोड़ा है। लेखक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के बिना जीत हासिल करना असंभव था।

श्री टिक्कू ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, कि श्रीलंका में कुछ विशेषताएं तथा भिन्न किस्म की गतिशीलता थीं, जिनके द्वारा सरकार ने एलटीटीई का सफाया किया और ये नीति विश्व के दूसरे देशों में लागू नहीं की जा सकती।

पुस्तक के विषय में विचार-विमर्श राजदूत अशोक के. कंठ ने प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा कि समकालीन मुद्दे, जैसे गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना, जेवीपी आंदोलन, प्रशासनिक त्रुटियां, मानवाधिकारों का उल्लंघन इत्यादि जैसे पुस्तक में व्याख्या किये गए मुद्दे वर्तमान साहित्य के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं तथा भारत को उस देश के प्रति अपनी नीति निर्धारित करने में मदद देंगे।

अगली वक्ता थीं आईसीडब्ल्यूए की शोध अध्येता डॉ. समथ मल्लेमपट्टी, जिन्होंने वर्तमान समय में पुस्तक की प्रासंगिकता के बारे में बताया। अन्य वक्ताओं की तरह उन्होंने भी कहा कि किसी देश की स्वायत्तता में हस्तक्षेप या अतिक्रमण करने को विभाजित करनेवाली अवधारणा रेखा बेहद पतली है। अंदरूनी संघर्ष पर रोकथाम में इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसपर लम्बी बहस हो सकती है। अपने उपसंहार में उन्होंने सलाह दी कि लेखक अपनी पुस्तक में इन अधिकारों के परिणामों की विस्तृत व्याख्या कर सकते थे।

तीसरे वक्ता थे पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री एच. के. दुआ। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक युद्ध तथा शांति के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंकाई मामलों से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो निकटतम पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिन्द महासागर के रास्ते खुलने के बाद भारत तथा श्रीलंका के सम्बंध अधिक नजदीकी होंगे। संतुलन बनाने की आवश्यकता भारत तथा चीन के बीच है तथा नई दिल्ली को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सलाह दी कि दोनों देश भारतीय-श्रीलंकाई पानी तथा उससे इतर मछली पकड़ने की योजना पर काम कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण के लिए भारतीय कम्पनी अमूल को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मत्स्य पालन में एक संयुक्त कम्पनी का गठन कर सकते हैं जिसकी अध्यक्षता वैकल्पिक हो तथा दोनों देशों के मछुआरों को लाभ का हिस्सेदार बनाया जाए। ये व्यवस्था दोनों देशों के मछुआरों के बीच तनाव दूर कर सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मछली पकड़ने की आधुनिक तकनीकि का प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी देशों में मछली बेचने से मछुआरों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनमें अनिश्चतता की भावना दूर होगी। उन्होंने कहा कि इस विचार पर दोनों देशों की सरकारें अमल कर सकती हैं।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के बारे में

विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक थिंक टैंक के रूप में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा 1943 में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी अधिनियम 1860 के पंजीकरण के अंतर्गत एक गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति आईसीडब्ल्यूए के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद् शोध संकाय के आंतरिक वैचारिक मंथन और बाहरी बुद्धिजीवियों के सहयोग से नीतिगत शोध निर्मित करती है। परिषद् नियमित रूप से सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान, परिचर्चा आदि का आयोजन करवाती है। यहाँ एक प्रतिष्ठित पुस्तकालय है, और इंडिया क्वाटर्ली जैसे जरनल/मैगजीन का प्रकाशन होता है। इसका एक अपना अलग वेब साइट है। यह परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत की भूमिका को प्रदर्शित करती है और अन्य विदेशी थिंक टैंकों के साथ संवाद स्थापित कर ट्रैक टू के लिए मंच तैयार करती है।

सूचनापत्र आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110001 द्वारा प्रकाशित
वेबसाइट: http://www.icwa.in; टेलिफोन नम्बर 011-23317246 फैक्स नम्बर 011-23310638

परामर्शदाता
राजदूत नलिन सूरी, महाप्रबंधक, आईसीडब्ल्यूए, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

संपादक
श्री पीयूष श्रीवास्तव, भारतीय विदेश सेवा, संयुक्त सचिव, आईसीडब्ल्यूए, विदेश मंत्रालय, सप्रू हाउस, नई दिल्ली

प्रबंध संपादक
डॉ. पंकज कुमार झा, निदेशक, शोध, आईसीडब्ल्यूए

उप संपादक
डॉ. राकेश कुमार मीना, शोध अध्येता, आईसीडब्ल्यूए